

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2691]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 2691]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3289(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में दिनांक 13 जून, 2013 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2013 की अधिसूचना का. आ. संख्या 1523(अ.) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 से 7 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

अध्यक्ष

[धारा 4 के खंड (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त]

1. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

[धारा 4 के खंड (ख) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त]

2. सचिव, भारत सरकार,
श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।

सदस्य

[धारा 4 के खंड (ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त]

3. अपर सचिव, भारत सरकार,
[सामाजिक सुरक्षा प्रभाग के ब्यूरो प्रमुख]
श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार
[सामाजिक सुरक्षा प्रभाग – क.रा.बी. निगम से संबंधित]
श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. श्री के. दिलीप कुमार, पूर्व-सदस्य तेलंगाना विधायी परिषद,
11-13-11/3, द्वार संख्या 79, मार्ग संख्या 2,
अल्कापुरी, हैदराबाद-500035. दूरभाष: 9963027577.
6. श्री नेती राजेश्वर राव,
मकान नं. 1-9-202/ई/1/सी/1, रामालयम सड़क के सामने,
मदर डेयरी के निकट, रामनगर,
हैदराबाद-500020. दूरभाष: 9391370109.
7. डॉ. नंदकिशोर गर्ग, पूर्व विधायक, दिल्ली,
10/4 केशव कुंज, पंजाबी बाग (पूर्वी),
दिल्ली- 110026. ई-मेल: nandk_garg@yahoo.com
दूरभाष: 9711179730.

[सं. यू-16012/02/2012-सासु-1]

जी. वेणूगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3289(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. No.1523(E) dated 13th June, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-Section (ii) dated the 13th June, 2013.

In the said Notification at S.No.1 to 7 following entries shall be substituted, namely:-

CHAIRMAN

[Appointed by the Central Government under clause (a) of Section 4]

1. Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge)
Government of India, New Delhi.

VICE-CHAIRMAN

[Appointed by the Central Government under clause (b) of Section 4]

- S. No.2- Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour and Employment,
New Delhi.

MEMBER

[Appointed by the Central Government under clause (c) of Section 4]

- S. No.3- Additional Secretary to the Government of India,
[Bureau Head of Social Security Division]
Ministry of Labour and Employment,
New Delhi.
- S. No.4- Joint Secretary to the Government of India,
[Social Security Division – Dealing with ESIC]
Ministry of Labour and Employment,
New Delhi.
- S. No.5- Shri K Dileep Kumar,
Ex-MLC, Telangana Legislative Council,
11-13-11/3, Door No.79,
Road No. 2, Alkapuri,
Hyderabad 500035. ☎ 9963027577
- S. No.6- Shri Neti Rajeswar Rao,
H.No.1-9-202/E/1/C/1, Opposite Ramayalayam Road,
Near Mother Dairy, Ramnagar,
Hyderabad 500020. ☎ 9391370109
- S. No.7- Dr Nand Kishore Garg,
Ex-MLA, NCT of Delhi Assembly,
10/4, Keshav Kunj, East Punjabi Bagh,
Delhi 110026. nandk_garg@yahoo.com ☎ 9711179730

[No. U-16012/02/2012-SS-I]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.